

उपखण्ड

अधिकारी

कठूमर जिला अलवर


2/86/2023

तारीख रजू

बनाम

फूलसिंह वगैरा

कन्हैया

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
<p>वकिल प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 264, 294,वाके ग्राम पीपलखेडा तहसील कठूमर में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 05.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) </p>	

3/8/23

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
16/06/23

11/11/23

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
11/11/23



दिनांक 30/4/24 को पत्र हो उदात्त जिम) उता

✓

उत्तर अफिसरी
कानून (कानून)

30/4/24

कनील प्रार्थी उपास्थान ।

साबिक आदेश दिनांक 19.5.23

की फालमा में पत्रा भी वास्ते हलकी कि 0.5.23 से अति

दिनांक 27/5/24 को पत्र हो अकाम 2417

जिंदा जाता है

✓

उत्तर अफिसरी
कानून (कानून)

27/5/2024

पत्रावली केवा डडी कनील प्रार्थी उपलित
नही भाषे कनील प्रार्थी को वाट न्यायवाण
डिवादी गई कोई उपलित नही अंतः कार्यना
पत्रा 212 न. का 0 मधि. कफर हजारी कफर
पेकी के खादिल क्रिया जाता है पत्रावली
कौलल सुगु होय दप नम्व से काम ही
मूल वाट के सलान रहे सुनामा।

27/5/24